आदेश

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 2608/2011, यू0पी0पावर कारपोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 27.04.2012 के अनुपालनार्थ कार्मिक अनुभाग–2, उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्याः 8/4/1/2002टी0सी0–1–का–2/ 2015 दिनॉक 21.08.2015 में निहित व्यवस्थानुसार दिनॉक 15.11.1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण का लाभ व परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर प्रोन्नत अराजपत्रित संवर्ग के कर्मियों को पदावनत की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात उक्त पदावनत के फलस्वरुप तत्समय रेडियो निरीक्षक पद पर नियुक्त 93 कार्मिको की पारस्परिक अद्यतन अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उ0प्र0पुलिस की वेवसाइट "www.uppolice.gov.in" पर ''टेलीकाम'' शीर्षक के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित करते हुए पत्र संख्याः पी–359/2014 दिनॉक 22.09.2015 द्वारा समस्त सहायक रेडियो अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि संदर्भित ज्येष्ठता सूची की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पर्यवेक्षणाधीन जनपद एवं इकाईयो में नियुक्त समस्त रेडियो निरीक्षको को उनकी ज्येष्ठता नोट करा दे तथा यदि किसी अधिकारी को उसकी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो उससे उसकी आपत्ति मय अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कर 07 दिवस के अन्दर इस मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

उपरोक्त सम्बन्ध में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर कुल 30 आपत्तियॉ प्राप्त हुई जिन पर नियमानुसार कृत कार्यवाही एवं निस्तारण का विवरण निम्नवत है–

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>नाम</th><th>नियुक्ति</th><th>आपत्तियॉ</th><th>निस्तारण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आनन्द कुमार शुक्ला</td><td>MCR LKW</td><td rowspan="18">1.चयन वर्ष 1985–86 में सीधी भर्ती कोटे के 21 रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के उपरान्त विभाग द्वारा चयन वर्ष 1992–93 में सीधी भर्ती के रेडियो अनुरक्षण अधिकारियें की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। इस प्रकार उक्त समयावधि के मध्य सृजित सीधी भर्ती कोटे की 37 रिक्तियॉ ही वर्ष 1992–93 में विज्ञापित की गयी। सभी 37 पदों की रिक्तियॉ वर्ष 1992–93 में ही अचानक रिक्त नही हुयी है, अपितु यह रिक्तियॉ भर्ती वर्ष 1991–92 एवं पूर्ववर्ती वर्षो की है। अतः सीधी भर्ती के सभी 37 रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों को रिक्ति वर्ष 1992–93 में चयनित माना जाना कदापि औचित्यपूर्ण नही है।
2. उ0प्र0पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली–1982 के नियम–17 के अनुसार ''यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो ही प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों में से ऐसी रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।'' किन्तु चयन वर्ष 1993–94 में रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद पर पदोन्नति एवं सीधी भर्ती, दोनो श्रोतो से चयन की कार्यवाही की गयी। उक्त कार्यवाही में एक ही चयन वर्ष में दोनो श्रोतो से चयनित रेडियो अनुरक्षण अधिकारियें की संयुक्त चयन सूची जारी नही की गयी।
3. उ0प्र0सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के नियम–9 उपनियम–1 में</td><td rowspan="18">1. प्रस्तुत आपत्तियां रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद की वर्ष 1996 में जारी की गयी ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध है।
2. प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि तत्समय उक्त ज्येष्ठता सूची के अन्तिम रुप से प्रकाशन के पूर्व रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची ज्ञाप संख्या पी–894/96 दिनॉक 03.09.1996 द्वारा सर्वसम्बन्धित को परिचालित कर उनकी आपत्तियां प्राप्त की गयी थी।
3. उक्त सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों में इन कर्मियो में से अधिकाशं कर्मियों की भी आपत्तियो का सक्षम अधिकारी श्री एस0एम0नसीम, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक (दूरसंचार) के स्तर से निस्तारण के पश्चात अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है।
4. उपर्युक्त संदर्भित सूची के प्रकाशन के पश्चात इस आधार पर पदोन्नतियां प्रदान की गयी है तथा समय–समय पर रेडियो निरीक्षक पद की ज्येष्ठता सूची भी जारी की जाती रही है।
5. वर्तमान में जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची रेडियो निरीक्षक पद की है। अतएव वर्तमान में</td></tr>
<tr><td>2</td><td>राम निवास</td><td>BJR</td></tr>
<tr><td>3</td><td>राजेश तिवारी</td><td>FRZ</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पान कुमार</td><td>AGA</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रेमलाल</td><td>RPR</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कैलाश नाथ तिवारी</td><td>LKW</td></tr>
<tr><td>7</td><td>सर्वेश कुमार</td><td>AMH</td></tr>
<tr><td>8</td><td>संजीव कुमार शुक्ला</td><td>BBK</td></tr>
<tr><td>9</td><td>राम निधि मौर्य</td><td>RHQ</td></tr>
<tr><td>10</td><td>दुर्गा प्रसाद</td><td>35Bn PAC</td></tr>
<tr><td>11</td><td>नैपाल सिंह सिरोही</td><td>ZUF</td></tr>
<tr><td>12</td><td>समर सिंह</td><td>KNJ</td></tr>
<tr><td>13</td><td>वरुण प्रताप सिंह</td><td>SRR</td></tr>
<tr><td>14</td><td>अशोक कुमार</td><td>RHQ</td></tr>
<tr><td>15</td><td>संजय कुमार</td><td>ABN</td></tr>
<tr><td>16</td><td>सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव</td><td>FZD</td></tr>
<tr><td>17</td><td>प्रदीप कुमार मिश्र</td><td>AMT</td></tr>
<tr><td>18</td><td>अखिलेश सिंह</td><td>ALD</td></tr>
</table>

			वर्णित है कि "**सेवा में नियुक्तियॉ होने के पश्चात यथासम्भव शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रुप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की अनन्तिम ज्येष्ठतासूची तैयार करेगा।" किन्तु** चयन वर्ष 1993–94 में दोनो श्रोतो से चयनित रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार) के आदेश संख्याः पी–894/96 दिनॉक 03.09.1996 द्वारा नियुक्ति से लगभग दो वर्ष दो माह बिलम्ब से जारी की गयी। 4 पुलिसमहानिरीक्षक/निदेशक(दूरसंचार)उ0प्र0 के आदेश संख्याः पी–894/96 दिनॉक 28.11.1996 के पृष्ठ संख्या 9 पर अंकित किया है कि **"चूंकि दिनॉक 01.07.1996 को विद्यमान रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी की गयी है। इसलिए इससे पूर्व विभाग छोडकर जा चुके अधिकारियों के नाम वरिष्ठता सूची में रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।"** जबकि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः13–2–84–का0–1(कार्मिक अनुभाग–1) लखनऊ दिनॉक 25.06.1984 तथा समसंख्यक आदेश दिनॉक 26.10.1985 द्वारा सेवा निवृत्त अथवा मृत राजकीय सेवकों को भी सूची में सम्मिलित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। उक्त के अतिरिक्त उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार)के ज्ञाप आदेश संख्याः पी–339/98 दिनॉक 23.03.2000 द्वारा चयन वर्ष 1995–96 में चयनित रेडियो केन्द्र अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची में सेवानिवृत्त, मृत एवं सेवा छोड़कर जाने वाले कर्मियों को भी सम्मिलित किया गया है।**इस प्रकार एक ही विभाग में दो अलग मापदण्ड अपनाये गये जो किसी भी दशा में औचित्यपूर्ण नही है।** **5.** वर्ष 1991–92 की रिक्तियों में विभागीय कोटे की रिक्तियों के साथ–साथ सीधी भर्ती कोटे की रिक्तियॉ भी उपलब्ध थी। वर्ष 1990 से 1992–93 तक सीधी भर्ती पर रोक होने से सीधी भर्ती की रिक्तियों का रिक्ति वर्ष एवं कोटा अप्रभावित रहता है। अतः सिर्फ भर्ती पर रोक के आधार पर प्रोन्नति कोटे के रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों को वर्ष 1991–92 की रिक्ति वर्ष का लाभ देकर शीर्ष पर रखा जाना नियमानुसार एवं न्यायोचित नही है। 6. अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में नाम राम निधि मौर्या के स्थान पर राम् निधि राम अंकित होने के सम्बन्ध में।	वर्ष 1996 की रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति के निस्तारण का कोई औचित्य नही है। 6. चरित्र पंजिका में अंकित विवरण के आधांर पर रे0नि0 राम निधि मौर्या का नाम संशोधित कर दिया गया।

19	अनुराग शर्मा	HPR	भर्ती के मूल पद रेडियो केन्द्र अधिकारी पद की ज्येष्ठतानुसार कनिष्ठ कर्मी श्री शिव कुमार, श्री सुदर्शन, श्री मानसिंह अहिरवार, श्री प्रीतम सिंह, श्री कुलदीप सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार को वर्तमान जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रखे जाने के सम्बन्ध में।	तदैव
20	मनोज कुमार गुप्ता	MCR LKW		
21	रणधीर सिंह	MCR LKW		
22	तारा चन्द्र पंत	RHQ		
23	प्रेम प्रकाश राय	RHQ		
24	हरिराज	MDD		
25	हरिओम गिरि	GZB	जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में पिता का नाम JAI PRAKASH GIRI के स्थान पर JAI PRASAD GIRI अंकित होने विषयक।	चरित्र पंजिका में अंकित विवरण के आधार पर पिता का नाम संशोधित कर दिया गया।
26	प्रेम पाल सिंह	MCR GZB	जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में पिता का नाम BABU SINGH के स्थान पर BALAM SINGH अंकित होने विषयक।	
27	अनिल कुमार	KHI	वर्ष 1986 में अनुसूचित जाति की अग्रनीत रिक्ति(बैकलाग) के सापेक्ष चयनित हुए है। प्रचलित नियमों के अनुसार अग्रनीत पद पूर्ववर्ती वर्षो के माने जाते है। सामान्य भर्ती के साथ अग्रनीत पदो पर चयन हो तो ऐसे अग्रनीत पदो के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों से वरिष्ठता में सबसे ऊपर रखे जाते है। तदोपरान्त यह क्रम आगे पदोन्नतियों के पदो पर जारी रहता है। तद्नुसार रेडियो निरीक्षक की जारी वरिष्ठता सूची में अग्रनीत चयन को संज्ञान में लेते हुये उनके बैच के रेडियो निरीक्षको से ऊपर श्री मुनीब राम जी के पश्चात रखे जाने विषयक।	1. आवेदक का नाम वर्ष 1996 में रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद की प्रकाशित ज्येष्ठता सूची में अंकित है। उक्त सूची के आधार पर ही इनकी पदोन्नति रेडियो निरीक्षक एवं तत्पश्चात आरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए सहायक रेडियो अधिकारी पद पर हुई थी। 2. उक्त सूची के सम्बन्ध में तत्समय आमंत्रित आपत्तियों में इनका नाम सम्मिलित नही था। इन्हे संदर्भित आपत्ति तत्समय ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। 3. एक सक्षम अधिकारी द्वारा एक बार प्रथम पदोन्नति पद की ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के उपरान्त उक्त सम्बन्ध में आपत्तियों को निस्तारित किये जाने का कोई औचित्य नही है।
28	सर्वदेव सिंह	BLA	1. वर्ष 1986 में सीधी भर्ती के समय इनका नाम मुकेश कुमार दुबे के ठीक नीचे था।तद्नुसार ज्येष्ठता निर्धारण करने विषयक। 2. जारी ज्येष्ठता सूची में पिता का नाम श्री ब्रह्म देव सिंह यादव के स्थान पर धर्म देव अंकित होने विषयक।	1. उ0प्र0सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के भाग–तीन में **"ज्येष्ठता सूची का तैयार किया जाना"** शीर्षक के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 2 पर उपशीर्षक **"सिर्फ एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता का निर्धारण"** पर व्यवस्था प्रदान की गयी है कि "जब एक ही पोषक संवर्ग के सेवकों को उच्च पद पर, पदोन्नति द्वारा, नियुक्त किया गया हो तो उच्च पद पर नियुक्त सेवकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी। यदि पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ सेवक की पदोन्नति से पूर्व उससे कनिष्ठ सेवक को पदोन्नति कर
29	प्रदीप कुमार शर्मा	BPT	वर्ष 1987 में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित हुए किन्तु कतिपय कारणो से रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद पर देर से प्रोन्नत हुए तथा तत्पश्चात रेडियो निरीक्षक पद पर प्रोन्नत हुए। उ0प्र0सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के शासनादेश संख्याः13–2–91टीसी –का–1/1991 दिनॉक 20.03.1991 के बिन्दु संख्या–6 पर निहित व्यवस्था कि् पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ के पश्चात की गई हो, उस संवर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो	

			पोषक संवर्ग में थी, के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित करने विषयक।	दिया गया हो तो ज्येष्ठ सेवक पदोन्नति होने पर पुनः वही ज्येष्ठता प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी। किन्तु उक्त शासनादेश में यह भी ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त शीर्षक के बिन्दु सं0 18 पर निहित व्यवस्थानुसार सीधी भर्ती के कार्मिक के नियुक्त हो जाने पर उसके पश्चात प्रोन्नत कार्मिक उससे वरिष्ठ नही किया जा सकता। विभाग में वर्ष 1994 में रे0अनु0अधि0 के पद पर सीधी भर्ती की नियुक्ति हो जाने के कारण उसके पश्चात प्रोन्नत कर्मियों को उपरोक्त वर्णित व्यस्थानुसार ज्येष्ठता प्रदान नही की सकती। 2. चरित्र पंजिका में अंकित विवरण के आधार पर पिता का नाम संशोधित कर दिया गया।
30	राम बहादुर सिंह	BNA	1. वर्ष 1988 में सीधी भर्ती के चयन की ज्येष्ठतानुसार वर्तमान ज्येष्ठता सूची में स्थान नही दिया गया है।	

उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निस्तारण करते हुए तथा दिनॉक 15.09.2015 के पश्चात सेवानिवृत्त 01 रेडियो निरीक्षक का नाम अनन्तिम सूची से हटाते हुए दिनॉक 01.11.2015 की स्थिति के अनुसार रेडियो निरीक्षक पद पर नियुक्त 92 कार्मिको की अद्यतन अन्तिम ज्येष्ठता सूची **निम्नवत** जारी की जाती है।

दिनॉक 01.11.2015 की स्थिति के अनुसार रेडियो निरीक्षक पद की अन्तिम ज्येष्ठता सूची

Sen. No.	Name	Father's Name	PNO NO.
1	MUNEEB RAM	BENAU RAM	851021083
2	PRAMOD KUMAR DUBEY	RAJ NARAIN	861020386
3	RAMESH SINGH	VIKRAM SINGH	861020360
4	RAM KAMAL SINGH	SHEETAL SINGH	871020246
5	BOOL SINGH	SACHCHA SINGH	861020416
6	BHAGWAN RAM	TRIVENI RAM	861020331
7	ANAND SHEWADEY	BAL KRISHAN RAO SHEWADEY	861020373
8	ANOOP KUMAR	PREM CHANDRA GUPTA	861020344
9	IRSHAN AHMAD ZAIDI	JAMEEL AHMAD	861020487
10	CHHEDI LAL SINGH	SAHDEV SINGH	801021378
11	ALOK MISHRA	RAM SANEHI MISHRA	821021055
12	SHYAMA KUMAR SINGH	NARVEER SINGH	811024165
13	RAM KRISHAN DWIVEDI	RAM SAGAR DWIVEDI	861020399
14	BACHCHU SINGH	MEER PAL SINGH	861020474
15	ASHOK KUMAR MISHRA	PARAS NATH MISHRA	861020445
16	JAI PRAKASH SINGH	RAM MURTI SINGH	861020403
17	MUKESH KUMAR DUBEY	MEWA RAM DUBEY	811021599
18	ANIL KUMAR	KHAGESHWAR PRASAD	N/A
19	VEER SINGH	HAR SHARAN SINGH	N/A
20	KRISHAN KUMAR SINGH RATHOR	JAGDISH SINGH RATHOR	871020161
21	MOHAN SINGH	PREM SINGH	871020204

22	SURESH KUMAR MISHRA	BADRI NARAIN MISHRA	871020190
23	SATYENDRA SINGH	SHANKAR SINGH	871020510
24	E.D.KHAN	SHAMI AHMAD	871020187
25	BRIJESH KUMAR	RAJENDRA SINGH SHARMA	871022877
26	LAL BAHADUR RAM	HARDEV RAM	871020174
27	VIRENDRA KUMAR VERMA	KUNWAR SINGH	881021226
28	BHARAT SINGH SENGAR	EKBAL BAHADUR SINGH	851020732
29	BRAHM DEV SHUKLA	DAYA SHANKAR SHUKLA	851020846
30	SHIV KUMAR RAO	SRIRAM	N/A
31	SUDARSHAN	GOVIND	N/A
32	MAN SINGH AHIRWAR	NATHU RAM AHIRWAR	851020820
33	PREETAM SINGH	DAULAT SINGH	881021284
34	KULDEEP SINGH	MALIKHAN SINGH	881021239
35	PRADEEP KUMAR	RAM SWAROOP	881021271
36	HARI RAJ	MUNSHI RAM	881021268
37	ANURAG SHARMA	RAM DATT SHARMA	881021154
38	ANAND KUMAR SHUKLA	DEV DATT SHARMA	941020219
39	AISH PAL SINGH	BABU SINGH	881021196
40	PREM PRAKASH RAI	MATHUR RAI	851020266
41	MANOJ KUMAR GUPTA	GAYA PRASAD	871022239
42	TARA CHANDRA PANT	H.K.PANT	881021242
43	DULI KUMAR	SHIV BALAK SINGH	881021141
44	RAN DHEER SINGH	DHARAM PAL SINGH	851021155
45	SHAH NAWAZ HUSAIN	SHAHAN SHAH HUSAIN	881021213
46	VINOD KUMAR JAISWAL	HARI RAM JAISWAL	881021327
47	RAJESH SINGH	JANG BAHADUR SINGH	881021372
48	SHAILENDRA KUMAR BAJPAI	K.C.BAJPAI	881021200
49	GIRJA NANDAN TIWARI	BRAJ BHOOSHAN TIWARI	881021255
50	PRADEEP KUMAR MISHRA	ASHWANI KUMAR	941020147
51	RAJESH TIWARI	SURESH CHANDRA TIWARI	941020248
52	SURYA PRAKASH SRIVASTAV	SHARDA PRASAD SRIVASTAV	941020150
53	SANJEEV KUMAR SHUKLA	HARI PRASAD SHUKLA	941020192
54	NEPAL SINGH SIROHI	RAJENDRA SINGH	941020118
55	SAMAR SINGH	JAGAT PAL SINGH	941020059
56	KAILASH NATH TIWARI	PARSHU RAM TIWARI	941020046
57	ASHOK KUMAR SHARMA	ARJUN SHARMA	941020020
58	AKHILESH SINGH	KALIKA PRASAD SINGH	941020033
59	RAJEEV KUMAR SHARMA	RAM VEER SHARMA	941020105
60	ASHOK KUMAR	PASHUPATI NATH	941020088
61	VARUN PRATAP SINGH	SHYAM LAL	941020091
62	SARVESH KUMAR	BHOOP SINGH	941020176
63	DURGA PRASAD	MAHESHWARI LAL	941020264
64	RAM NIWAS	MANGALU	941020189
65	SANJAI KUMAR	RAM CHHABILA RAM	941020222
66	PAN KUMAR	DAYA RAM	941020206
67	RAM NIDHI MAURYA	DEVI DAYAL	881022115
68	PREM LAL	VIJAI RAM	941020163
69	PHOOL CHANDRA	GOPAL PRASAD	861020461

70	PRADEEP KUMAR SHARMA	BALA DATT SHARMA	871020217
71	FATEH BAHADUR SINGH	HARI DATT SINGH	881021125
72	PREM PAL SINGH	BABU SINGH	861020083
73	RAKESH CHANDRA VERMA	PREM CHANDRA VERMA	881021167
74	PANNA LAL YADAV	SRIRAM YADAV	871021672
75	RAMESH BABU	DAMBER SINGH	851020439
76	SATYENDRA PATHAK	SURESH CHANDRA	871021601
77	SARV DEV SINGH	BRAHM DEV SINGH	861020328
78	RAZA HUSAIN	ALI HUSAIN	871020233
79	RAKESH KUMAR MISHRA	SWAMI NATH	881021183
80	SHATRUGHAN PRASAD GIRI	JILEDAR GIRI	881021170
81	RAM BAHADUR SINGH	RAGHU NATH SINGH	881021297
82	RUPAK KUMAR SINHA	ARVIND KUMAR	951020108
83	SURYA PRAKASH	GANGA RAM	951020586
84	KRISHAN MOHAN GUPTA	AWDHESH NARAIN GUPTA	951020179
85	VIAJI PRATAP YADAV	GURUDEEN YADAV	951020905
86	DHARMESH SINGH	VIAJAI SINGH	951020531
87	SUNDAR PAL	RAM SARAN	951020241
88	NAGENDRA SINGH RATHOR	MANOHAR SINGH RATHOR	951020225
89	HARIOM GIRI	JAI PRAKASH GIRI	951020296
90	MURLI DHAR SINGH MAURYA	SUDAMA SINGH MAURYA	851021041
91	LAXMAN PRASAD YADAV	RAJ BAHADUR	881020193
92	SYED.HAIDER MEHANDI RIZVI	NAYAB HUSAIN	951020111

संख्याः एम–359 / 2014
दिनांकः नवम्बर 6 ,2015

उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार)मुख्यालय,
उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर, लखनऊ।

(राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल)
प्रधान लिपिक,च0पं0लि0

(एस0जेड0ए0रिजवी)
सहायक रेडियो अधिकारी(कार्मिक)